

॥ ४६
१९

कील प्रार्थी उपरोक्त/शजपैरोकार उपस्थित/
संक्षेप में निर्णय प्रार्थी-पत्र प्रार्थी आधिकारिक
स्वीकृत किया जाता है। - पत्र 18 PTD B के
मु. नं. 26 पं. नं. 283/252 कि. नं. 21 गा. 25
स्वीकृत हुआ रास्ते को निरस्त कर राज रकबा
हम किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।
निर्णय विस्तार से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली (क्या पत्रावली कैलनी में शुमार
होकर हाथिल इफ्तार हो।

उपखंड अधिकारी
रायसिंहनगर